<u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)</u> OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u> (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण-11/2/2025-26/ No.Au/Trg/11-2/2025-26/ दिनांक: 04 जून 2025 Date: 04 June 2025

<u>अनुभागीय आदेशसं.87/ SECTIONAL ORDER NO.87</u>

इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को आरसीबी एंड केआई, चेन्नई में आयोजित होने वाले संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है।

The following officials of this Office of the AG (Audit I) has been nominated for the respective training programmes scheduled to be conducted at RCB&KI, Chennai.

Sl. No	Name & Designation (S/Smt./Shri)	Section	Date of Training	Training Course
1.	Saleel AR , AAO	AMG III	16.06.2025 to 20.06.2025	Audit of Goods and Service Tax
2.	Shubham Chauhan, AAO			
3.	Sindhuraj B L, Supervisor			
4.	Aravind Narayanan, AAO	AMG II	16.06.2025 to 20.06.2025	Database concepts & Postgre SQL

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तिथि पर 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

संबंधित मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण के संबंध में पहले ही सूचित कर दिया जाए।

Headquarters concerned may ensure that the nominated officials are informed regarding the training in advance.

(महालेखाकार के दिनांक 30 मई 2025 के आदेशानुसार)

Lalta

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक़ .प.ले)-I)/(ले.पII)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए